

अपील क्रमांक 216/बो.प्र./नि.स./2025/
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ)
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़
शिवनाथ भवन, सेक्टर-19,
नवा रायपुर अटल नगर

दिनांक /04/2025

अपील प्रकरण क्रमांक 216/बो.प्र./नि.सहा./2025

अपीलार्थी	विरुद्ध	उत्तरवादी
श्री एस.आर. नेताम, सहायक अभियंता, जल संसाधन संभाग, सुकमा जिला सुकमा (छ.ग.)		श्री रविकांत साहू, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 29.04.2025

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री एस.आर. नेताम द्वारा दि. 07.04.2025 द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन की सुनवायी आज दिनांक 29.04.2025 को कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर में दोपहर 12.30 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री रविकांत साहू, कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) उपस्थित थे तथा अपीलार्थी अनुपस्थित थे।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है आवेदक/अपीलार्थी ने प्रस्तुत प्रथम अपील प्रकरण में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत "स्वयं (श्री एस.आर. नेताम, सहायक अभियंता) का वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 तक का गोपनीय प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति" उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 15.01.2025 को जनसूचना अधिकारी एवं कार्यपालन अभियंता, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को आवेदन प्रस्तुत किया था। किन्तु जनसूचना अधिकारी द्वारा अधूरी जानकारी दिये जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 07.04.2025 को अपीलार्थी द्वारा प्रेषित प्रथम अपील आवेदन इस कार्यालय में 09.04.2025 को प्राप्त हुआ है। प्रथम अपील आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत, प्रकरण की सुनवाई दिनांक 29.04.2025 को समय दोपहर 12.30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर में निर्धारित कर, सुनवायी में उपस्थित होने बाबत अपीलार्थी को स्पीड पोस्ट से सूचित किया गया।

3. सुनवाई दिनांक 29.04.2025 को अपीलार्थी के अनुपस्थित रहने के कारण, प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर निराकरण किया जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपीलीय प्रकरण में उल्लेख किया गया है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा उनके आवेदन में वांछित जानकारी में से 1. गोपनीय प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 (01.04.2019 से 31.07.2019) तक के भाग चार की सत्यापित प्रति, 01.08.2019 से 31.03.2020 तक के द्वितीय भाग की सत्यापित प्रति, 2 गोपनीय प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 के भाग चार की सत्यापित, 3. गोपनीय प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 की सत्यापित प्रति नहीं दिये जाने से असंतुष्ट होकर दि. 07.04.2025 द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है।

4. जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये। उन्होंने अवगत कराया कि आवेदक/अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 15.01.2025 जनसूचना प्रकोष्ठ को दिनांक 23.01.2025 प्राप्त हुआ। स्थापना कक्ष से जनसूचना प्रकोष्ठ में दिनांक 05.02.2025 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि आवेदक द्वारा चाही गयी जानकारी कुल 36 पृष्ठों में उपलब्ध है। अपीलार्थी के द्वारा शुल्क राशि रु. 80.00 (रु. अस्सी मात्र) जमा किये जाने के कारण, उन्हें इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4112275/16/छ.ग./2025/1519, दिनांक 13.02.2025 को वांछित जानकारी दी जा चुकी है।

5. प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में अपीलार्थी को वांछित जानकारी प्राप्त करने की पात्रता है ? अपीलार्थी ने अपने आवेदन में "स्वयं (श्री एस.आर. नेताम, सहायक अभियंता) का वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 तक का गोपनीय प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति" मांगी थी। प्रथम अपील में उन्होंने जनसूचना अधिकारी के पत्र क्रमांक 4112275/16/छ.ग./2025/1519, दिनांक 13.02.2025 द्वारा प्रेषित जानकारी में से **1. गोपनीय प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 (01.04.2019 से 31.07.2019) तक के भाग चार की सत्यापित प्रति, 01.08.2019 से 31.03.2020 तक के द्वितीय भाग की सत्यापित प्रति, 2. गोपनीय प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 के भाग चार की सत्यापित, 3. गोपनीय प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 की सत्यापित प्रति** प्राप्त नहीं होने का लेख किया है। इसका आशय स्पष्ट है कि उन्हें शेष अवधि की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के न्यायसंगत निराकरण किये जाने की दृष्टि से अपीलार्थी के आवेदन में वांछित शेष जानकारी के संबंध स्थापना कक्ष के नस्ती इंचार्ज श्री रमेश देवांगन सहायक वर्ग-2 को अपील में उल्लेखित दस्तावेज की छायाप्रति कराकर जनसूचना अधिकारी को 15 दिनों में दिये जाने के निर्देश दिये गये। जनसूचना अधिकारी स्थापना कक्ष से शेष जानकारी प्राप्त कर परीक्षण कर अपीलार्थी/आवेदक को निःशुल्क उपलब्ध करायेंगे।

6. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विभागों को सूचना के स्व-प्रकटीकरण के संबंध में स्पष्ट निर्देश हैं। साथ ही शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली में अंकित सभी प्रविष्टियों को संसूचित किये जाने के संबंध में छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र क्र. एफ 9-2/2008/1-6 दिनांक 15.12.2010 का उद्धरण निम्नानुसार है:-

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संदर्भित परिपत्र दिनांक 13.1.1999 में शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली समय पर लिखे जाने एवं गोपनीय चरित्रावली में अंकित सुझावात्मक/प्रतिकूल टीकाओं को संसूचित करने के संबंध में निर्देशक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं तथा गोपनीय चरित्रावली में अंकित प्रतिकूल टिप्पणियों की संसूचना एवं प्राप्त अभ्यावेदन के निराकरण की कार्यवाही के संबंध में सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 1-7 में एवं इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 8-12/82/का.प्र.सू. दिनांक 25 मई, 1982 एवं क्रमांक एफ 5-5/90/49/9. दिनांक 20 नवम्बर 1990 में समुचित दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 7631/2002 देवदत्त विरुद्ध केन्द्र शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.5.2008 में माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि सिविल, न्यायायिक, पुलिस या राज्य की अन्य सेवा (मिलिट्री को छोड़कर) के लोक सेवकों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित सभी टीकाओं को चाहे वह घटिया/औसत/अच्छी/बहुत अच्छी अथवा उत्कृष्ट हों, उन्हें संसूचित की जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धांत आदेशात्मक (**Mandatory**) है, अतः उसका अनुपालन किया जाना अनिवार्य है।

3/ अतएव, राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शासन के सभी विभाग, विभागाध्यक्ष एवं उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों/निगम/मण्डल/आयोग/अभिकरण कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन जब अंतिम मतांकन के उपरांत उन्हें संधारित करने वाले अधिकारी अर्थात् कस्टोडियन अधिकारी को प्राप्त होंगे, तब वह संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को उसके गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित सभी टीकाएं उन्हें एक निश्चित समयावधि में संसूचित करेगा एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को टीकाओं की संसूचना प्राप्त होने पर, उसकी प्राप्ति की तिथि से एक निश्चित समयावधि में उन टीकाओं के संबंध में सक्षम अधिकारी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार होगा तथा सक्षम अधिकारी को अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसके द्वारा अभ्यावेदन की प्राप्ति की तिथि से एक निश्चित समयावधि में उसका निराकरण समुचित रीति से किया जाएगा। तत्पश्चात अभ्यावेदन पर लिए गए अंतिम निर्णय से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को भी सूचित किया जाएगा।

4/उपरोक्त निर्णयानुसार चूंकि अब अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन की सभी टीकाएं संसूचित की जाएंगी, अतः गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित प्रतिकूल टीकाएं पृथक से संसूचित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

5/अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन की सभी टीकाएं संसूचित करने, उसके विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने, सक्षम अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन का निराकरण करने एवं अंतिम निर्णय से संबंधित को सूचित करने के संबंध में प्रक्रिया एवं समयावधि वही रहेगी, जैसी कि सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 1-7 में एवं इस विभाग द्वारा जारी उपरोक्त परिपत्रों में प्रतिकूल टीकाओं की संसूचना एवं उनके विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों के निराकरण के लिए निर्धारित है।

6/शासन के सभी विभाग कृपया सुनिश्चित करें कि उपरोक्त निर्णय का पालन उनके अधीनस्थ विभागाध्यक्ष कार्यालयों व उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों तथा सभी निगम /मण्डल / आयोग/ अभिकरण कार्यालयों में अनिवार्य रूप से किया जाए।

7. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में निहित सूचना के स्व-प्रकटीकरण के प्रावधान एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 7631/2002 देवदत्त विरुद्ध केन्द्र शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.05.2008 के परिपालन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 15.12.2010 में कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन जब अंतिम मतांकन के उपरांत उन्हें संधारित करने वाले अधिकारी अर्थात् कस्टोडियन अधिकारी को प्राप्त होंगे, तब वह संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को उसके गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित सभी टीकाएं उन्हें एक निश्चित समयावधि में संसूचित करने दिये गये बंधनकारी निर्देश के परिपालन में यह उचित होगा कि इस विभाग में गोपनीय प्रतिवेदन संधारित करने वाले अधिकारी को शासनादेश का पालन किया जाना सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध किया जावे, ताकि शासकीय सेवकों को अपने गोपनीय प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त करने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उपयोग करने की आवश्यकता ही ना पड़े।

8. अतः उपरिवर्णित तथ्यों के आधार पर प्रकरण पर निम्नानुसार निर्णय दिया जाता है:-

- (1) जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन में वांछित शेष जानकारी "1. गोपनीय प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 (01.04.2019 से 31.07.2019) तक के भाग चार की सत्यापित प्रति, 01.08.2019 से 31.03.2020 तक के द्वितीय भाग की सत्यापित प्रति, 2. गोपनीय प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 के भाग चार की सत्यापित, 3. गोपनीय प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 की सत्यापित प्रति, स्थापना कक्ष से प्राप्त कर, परीक्षण कर अपीलार्थी/आवेदक को 15 दिनों के अंदर निःशुल्क उपलब्ध करायेंगे।
- (2) जल संसाधन विभाग में शासकीय सेवकों के गोपनीय प्रतिवेदन संधारित करने वाले समस्त अधिकारी अर्थात् कस्टोडियन अधिकारी से अनुरोध है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में निहित सूचना के स्व-प्रकटीकरण के प्रावधान एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 7631/2002 देवदत्त विरुद्ध केन्द्र शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.05.2008 के परिपालन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 15.12.2010 में कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन अंतिम मतांकन के उपरांत, संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को उसके गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित सभी टीकाएं उन्हें एक निश्चित समयावधि में संसूचित करने के संबंध में दिये गये बंधनकारी निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि शासकीय सेवकों को अपने गोपनीय प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त करने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उपयोग करने की आवश्यकता ही ना पड़े।

.....5

प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से प्रथम अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर, नस्तीबद्ध किया जाता है।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को तथा इस कार्यालय के साथ ही समस्त मुख्य अभियंता महोदय को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

(आलोक कुमार अग्रवाल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्र./216/बो.प्र./नि.स./2025/4029

नवा रायपुर, दिनांक 05/05/2025

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.)
2. मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.)
3. मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर (छ.ग.)
4. मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर (छ.ग.)
5. मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, अंबिकापुर (छ.ग.)
6. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जगदलपुर (छ.ग.)
7. अधीक्षण अभियंता (प्रशा.) कार्या. प्रमुख अभियंता, जल संसा. विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

की ओर छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र क्र. एफ 9-2/2008/1-6 दिनांक 15.12.2010 की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन अंतिम मतांकन के उपरांत, संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को उसके गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित सभी टीकाएं उन्हें एक निश्चित समयावधि में संसूचित करने के संबंध में दिये गये बंधनकारी निर्देशों का पालन किये जाने बाबत सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु, सादर संप्रेषित।

8. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेबसाइट (RTI Section) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
9. श्री रविकांत साहू, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. श्री एस.आर. नेताम, सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग, सुकमा, जिला सुकमा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रथम अपीलीय अधिकारी
एवं अधीक्षण अभियंता (बोधी प्रको.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर-492001

क्रमांक एफ 9-2/2008/1-6
प्रति,

रायपुर, दिनांक 16/12/2010

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय :- शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली में अंकित सभी प्रविष्टियों को संसूचित किया जाना।

संदर्भ :- इस विभाग का परिपत्र क्र. एफ 5-4/98/एक/9, दि.13 जनवरी, 1999.

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संदर्भित परिपत्र दिनांक 13.1.1999 में शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली समय पर लिखे जाने एवं गोपनीय चरित्रावली में अंकित सुझावात्मक/प्रतिकूल टीकाओं को संसूचित करने के संबंध में निर्देशक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं तथा गोपनीय चरित्रावली में अंकित प्रतिकूल टिप्पणियों की संसूचना एवं प्राप्त अभ्यावेदन के निराकरण की कार्रवाई के संबंध में सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 1-7 में एवं इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 8-12/82/का.प्र.सू. दिनांक 25 मई, 1982 एवं क्रमांक एफ 5-5/90/49/9, दिनांक 20 नवम्बर, 1990 में समुचित दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 7631/2002 - देवदत्त विरुद्ध केन्द्र शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.5.2008 में माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि सिविल, न्यायाधिक, पुलिस या राज्य की अन्य सेवा (मिलिट्री को छोड़कर) के लोक सेवकों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित सभी टीकाओं को चाहे वह घटिया/औसत/अच्छी/बहुत अच्छी अथवा उत्कृष्ट हों, उन्हें संसूचित की जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धांत आदेशात्मक (Mandatory) है अतः उसका अनुपालन किया जाना अनिवार्य है।

3/ अतएव, राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शासन के सभी विभाग, विभागाध्यक्ष एवं उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों/निगम/मण्डल/आयोग/अभिकरण कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन जब अंतिम मतांकन के उपरांत उन्हें संधारित करने वाले अधिकारी अर्थात् कस्टोडियन अधिकारी को प्राप्त होंगे तब वह संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को उसके गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित सभी टीकाएं उन्हें एक निश्चित समयावधि में संसूचित करेगा एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को टीकाओं की संसूचना प्राप्त होने पर, उसकी प्राप्ति की तिथि से एक निश्चित समयावधि में उन टीकाओं के संबंध में सक्षम अधिकारी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

तथा सक्षम अधिकारी को अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसके द्वारा अभ्यावेदन की प्राप्ति की तिथि से एक निश्चित समयावधि में उसका निराकरण समुचित शीति से किया जाएगा। तत्पश्चात् अभ्यावेदन पर लिए गए अंतिम निर्णय से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को भी सूचित किया जाएगा।

4/ उपरोक्त निर्णयानुसार चूंकि अब अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन की सभी टीकाएं संसूचित की जाएंगी, अतः गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित प्रतिकूल टीकाएं पृथक से संसूचित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

5/ अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन की सभी टीकाएं संसूचित करने, उसके विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने, सक्षम अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन का निराकरण करने एवं अंतिम निर्णय से संबंधित को सूचित करने के संबंध में प्रक्रिया एवं समयावधि वही रहेगी, जैसी कि सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 1-7 में एवं इस विभाग द्वारा जारी उपरोक्त परिपत्रों में प्रतिकूल टीकाओं की संसूचना एवं उनके विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों के निराकरण के लिए निर्धारित है।

6/ शासन के सभी विभाग कृपया सुनिश्चित करें कि उपरोक्त निर्णय का पालन उनके अधीनस्थ विभागाध्यक्ष कार्यालयों व उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों, तथा सभी निगम/मण्डल/आयोग/अभिकरण कार्यालयों में अनिवार्य रूप से किया जाए।

(के.आर.मिश्रा)

संयुक्त सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

रायपुर, दिनांक 16/12/2010

पृष्ठांक. एफ 9-2/2008/1/6

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, रायपुर।
3. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर।
5. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़।
6. महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर।
7. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
8. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर।
9. विशेष सहायक/निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/संसदीय सचिव, मंत्रालय, रायपुर।
10. समस्त आयोग/निगम/मण्डल/अभिकरण कार्यालय, छत्तीसगढ़।
11. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, मंत्रालय, रायपुर।

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग